

Yogoda Satsanga Mahavidyalaya

B. Com Semester - VI

Subject: Auditing & Corporate Governance (C-13) CBCS

Topic: कंपनी लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक, अधिकार और कर्तव्य

Ravindra Kumar, Associate Professor Department of Commerce

कंपनी लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक:

कंपनी ऑडिटर्स का पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है और आमतौर पर ऑडिट के दायरे और जटिलता, कंपनी के आकार और उद्योग मानकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

1. पारिश्रमिक का निर्धारण:

- निदेशक मंडल: अक्सर पारिश्रमिक का प्रस्ताव करता है, जो एक निश्चित शुल्क, प्रति घंटा दर या दोनों के संयोजन पर आधारित हो सकता है।

- शेयरधारकों की स्वीकृति: कई न्यायालयों में, प्रस्तावित पारिश्रमिक को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

2. पारिश्रमिक को प्रभावित करने वाले कारक:

- कार्य का दायरा: लेखापरीक्षा कार्य की जटिलता और सीमा।

- कंपनी का आकार: बड़ी कंपनियों को अक्सर अधिक व्यापक ऑडिटिंग की आवश्यकता होती है।

- उद्योग मानक: उद्योग में ऑडिट सेवाओं के लिए प्रचलित दरें।

- नियामक आवश्यकताएँ: किसी भी वैधानिक सीमा या दिशानिर्देशों का अनुपालन।

कंपनी लेखा परीक्षकों के अधिकार:

कंपनी लेखा परीक्षकों के पास अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए विशिष्ट अधिकार हैं।

1. पुस्तकों और अभिलेखों तक पहुंच:

- लेखा परीक्षकों को ऑडिट करने के लिए आवश्यक सभी वित्तीय रिकॉर्ड, दस्तावेज़ और प्रासंगिक जानकारी तक पहुंचने का अधिकार है।

2. सूचना एवं स्पष्टीकरण:

- ऑडिटर कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों और निदेशकों से आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।

3. सामान्य बैठकों में उपस्थिति:

- लेखा परीक्षकों को कंपनी की किसी भी सामान्य बैठक, विशेष रूप से एजीएम, जहां उनकी नियुक्ति, पारिश्रमिक और ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है, के नोटिस प्राप्त करने और उसमें भाग लेने का अधिकार है।

4. रिपोर्ट करने का अधिकार:

- लेखा परीक्षकों को शेयरधारकों को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने का अधिकार है। वे एजीएम के दौरान अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश करते हैं।

5. लेखापरीक्षा समिति के साथ संचार:

- ऑडिट के दौरान पाए गए मुद्दों के संबंध में ऑडिटर कंपनी की ऑडिट समिति से सीधे संवाद कर सकते हैं।

कंपनी लेखा परीक्षकों के कर्तव्य:

कंपनी लेखा परीक्षकों के कर्तव्यों में वित्तीय विवरणों की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जिम्मेदारियाँ शामिल हैं।

1. वित्तीय विवरण की जांच:

- लेखा परीक्षकों को कंपनी के वित्तीय विवरणों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कंपनी की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करते हैं।

2. मानकों का अनुपालन:

- आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग मानकों (जीएएएस) या ऑडिटिंग पर अंतरराष्ट्रीय मानकों (आईएसए) के अनुसार ऑडिट का संचालन करें।

3. लेनदेन का सत्यापन:

- सत्यापित करें कि लेनदेन सटीक रूप से दर्ज किए गए हैं और लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं।

4. आंतरिक नियंत्रण मूल्यांकन:

- कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन करें और किसी भी कमजोरियों की पहचान करें।

5. धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना:

- महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाने के लिए उचित कौशल और सावधानी का उपयोग करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

6. रिपोर्टिंग:

- शेयरधारकों को संबोधित करते हुए एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें बताया जाए कि क्या वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

- आंतरिक नियंत्रण में भौतिक कमजोरियों या धोखाधड़ी के उदाहरणों सहित किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर करें।

7. गोपनीयता:

- ऑडिट के दौरान प्राप्त सभी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखें, सिवाय इसके कि जहां कानून या विनियम द्वारा प्रकटीकरण आवश्यक हो।

8. स्वतंत्रता और निष्पक्षता:

- हितों के टकराव से बचने के लिए कंपनी से स्वतंत्रता सुनिश्चित करें।

- संपूर्ण ऑडिट प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता बनाए रखें।

9. व्यावसायिक निर्णय और संशयवाद:

- पेशेवर निर्णय और संदेह का प्रयोग करें, खासकर सबूतों का मूल्यांकन करते समय और ऑडिट निर्णय लेते समय।

10. नियामक अनुपालन:

- प्रासंगिक कानूनों, विनियमों और पेशेवर मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

नियामक ढांचा:

1. ऑडिटिंग पर अंतर्राष्ट्रीय मानक (आईएसए):

- अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (IAASB) द्वारा निर्धारित, वैश्विक स्तर पर लेखापरीक्षकों के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।

2. विभिन्न न्यायक्षेत्रों में कंपनी अधिनियम:

- उस क्षेत्राधिकार के भीतर लेखा परीक्षकों के लिए विशिष्ट कर्तव्यों, अधिकारों और पारिश्रमिक दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार करता है। उदाहरण के लिए, यूके में कंपनी अधिनियम 2006, भारत में कंपनी अधिनियम 2013, आदि।

इन सिद्धांतों का पालन करके, लेखा परीक्षक किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जिससे हितधारकों का विश्वास बढ़ता है और बाजार की अखंडता बनी रहती है।

Ravindra Kumar
Associate Professor
Department of Commerce